संख्या-1290 (1)/44-2/87,

प्रेषक,

श्री बृजभूषण चतुर्वेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लि0,
लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक 11 नवम्बर, 1987

विषय :- द्वितीय शनिवार के अवकाश के सम्बन्ध में।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

उपर्युक्त विषय से संबंधित अपने निगम के पत्र संख्या-3425/एन0एन0एल0/एम0डी0/बी0-12, दिनांक 14 अक्टूबर, 1986 का कृपया सन्दर्भ लें जिसके द्वारा यह जानकारी चाही गई है कि द्वितीय शनिवार का अवकाश अर्जित/चिकित्सा अवकाश के पूर्व अथवा पश्चात् पड़ने पर अर्जित/चिकित्सा अवकाश में जोड़ा जायेगा अथवा नहीं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे, आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि द्वितीय शनिवार का अवकाश उपभोग किये गये उपार्जित/चिकित्सा अवकाश में जोड़ा जायेगा। द्वितीय शनिवार के अवकाश का उपभोग किये गये अर्जित/चिकित्सा अवकाश के साथ संयुक्तीकरण (Prefix Suffix) नहीं होगा।

3-कृपया इसे निदेशक मण्डल की स्वीकृति के पश्चात् लागू करने का कष्ट करें।

भवदीय,
बृजभूषण चतुर्वेदी,
संयुक्त सचिव।

संख्या-1290 (1)/44-2/87, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक तथा नोयडा/बीडा के मुख्य कार्यकारी।

(2) उपक्रमों/निगमों से संबंधित सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(3) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो।

आज्ञा से,
बृजभूषण चतुर्वेदी,
संयुक्त सचिव।

संख्या-200/चौवालिस-2-75/86